संख्या-04/2021/265/अडतीस-7-2020-134/2015

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 28 जनवरी, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजनान्तर्गत प्रथम चरण के क्लस्टर सिलाना, जनपद बागपत की सीजीएफ की द्वितीय किश्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 06/468/श्यामाप्र0मु0रू0मि0 /2019-20 दिनांक 02-03-2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12011/28/2015रूर्बन(एसएलनं0-39), दिनांक: 14-02-2020 द्वारा प्रथम चरण के क्लस्टर सिलाना, जनपद बागपत हेतु केन्द्रांश रू0 5.40 करोड़(रूपये पांच करोड़ चालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-07/2020/265/38-7-2020-134/2015, दिनांक: 31-03-2020 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अतः उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा निर्गत केन्द्रांश की धनराशि के संगत राज्यांश की धनराशि रू0 3.60करोड़ (रू0 तीन करोड़ साठ लाख मात्र) निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) आंकडों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त,ग्राम्य विकास का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों तथा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए क्या जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते मे रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को गाइडलाइन में निर्धारित व्यवस्थानुसार समायोजन/लेखाशीर्ष में जमा करने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों/कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों/कार्यों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार के पत्र/स्वीकृत आदेश दिनांक 14-02-2020 की शर्तों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त पर व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(10) आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में रूग्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक: 24 मार्च, 2020 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनान्तर्गत निर्धारित मद में वित्तीय नियमों के अनुपालन का दायित्व अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- 102- सामुदायिक विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशा0 पत्र संख्या-यूओ- ई-2- 101/दस-2020, दिनांक: 28 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 04/2021/ 265(1)/अइतीस-7-2020 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार(रूर्बन डिवीजन), कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- अपर मुख्य सचिव/निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
5- अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, उत्तर प्रदेश।
8- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, बागपत, उ0प्र0।
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
11- राज्य योजना आयोग-1/2
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasnadesh.up.gov.in